# CHAPTER - XIII APPEALS AND REVISION

#### Rule 108: Appeal to the Appellate Authority

- (1) An appeal to the Appellate Authority under sub-section (1) of section 107 shall be filed in **FORM GST APL-01**, along with the relevant documents, either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner, and a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.
- (2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in **FORM GST APL-01** shall be signed in the manner specified in rule 26.
- (3) <sup>1</sup>[Where the decision or order appealed against is uploaded on the common portal, a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in **FORM GST APL-02** by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

**Provided** that where the decision or order appealed against is not uploaded on the common portal, the appellant shall submit a self-certified copy of the said decision or order within a period of seven days from the date of filing of **FORM GST APL-01** and a final acknowledgment, indicating appeal number, shall be issued in **FORM GST APL-02** by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf, and the date of issue of the provisional acknowledgment shall be considered as the date of filing of appeal:

**Provided further** that where the said self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of **FORM GST APL-01**, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of appeal.]

Sub-rule (3) substituted by Noti. No. 26/2022–Central Tax, dt. 26-12-2022 w.e.f. 26-12-2022. Earlier to substitution it read as under:

<sup>&</sup>quot;(3) A certified copy of the decision or order appealed against shall be submitted within seven days of filing the appeal under sub-rule (1) and a final acknowledgement, indicating appeal number shall be issued thereafter in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf:

**Provided** that where the certified copy of the decision or order is submitted within seven days from the date of filing the **FORM GST APL-01**, the date of filing of the appeal shall be the date of issue of provisional acknowledgement and where the said copy is submitted after seven days, the date of filing of the appeal shall be the date of submission of such copy."

### Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Explanation**-For the provisions of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement, indicating the appeal number is issued.

#### केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

# अध्याय 13 अपील और पुनरीक्षण

## नियम 108: अपील प्राधिकारी को अपील

- (1) धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी को अपील प्ररूप जीएसटी एपीएल—1 में सुसंगत दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए और अपीलाथी को तत्काल अनंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।
- (2) प्ररूप जीएसटी एपीएल—1 में यथा अन्तर्विष्ट अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप नियम 26 में विनिर्दिष्ट रीति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (3) <sup>1</sup>[जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया है, वहां एक अंतिम अभीस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुये, अपील प्राधिकारी या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी की जाएगी और अंनतिम अभीस्वीकृति जारी करने की तारिख को अपील फाईल करने की तारिख माना जाएगाः

परंतु यह कि जहां उस निर्णय या आदेश जिसके विरूद्ध अपील की गई है, को सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाता है, वहां अपीलार्थी, प्ररूप जीएसटी एपीएल—01 फाईल करने की तारिख से 07 दिनों की अवधि के भीतर उक्त निर्णय या आदेश की एक स्व—अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा और एक अंतिम अभीस्वीकृति, अपील संख्या दर्शित करते हुये, अपीलीय प्राधिकारी या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 में जारी की जाएगी, और अंनतिम अभीस्वीकृति जारी करने की तारिख को अपील फाईल करने की तारिख माना जाएगाः

परंतु जहां निर्णय या आदेश की उक्त स्व—अनुप्रमाणित प्रति प्ररूप जीएसटी एपीएल—01 फाईल करने की तारिख से 07 दिनों की अविध के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, ऐसी प्रति जमा करने की तारिख को अपील फाईल करने की तारिख के रूप में माना जाएगा।] स्पष्टीकरण- इस नियम के उपबंधों के लिए, अपील को तभी फाइल किया गया माना जाएगा जब अपील संख्या दर्शित करते हुए अंतिम अभिस्वीकृति जारी की जाती है।

<sup>1</sup> अधिसूचना क्रमांक 26 / 2022—केन्द्रीय कर, दिनांक 26.12.2022 द्वारा उपनियम 3 प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 26.12.2022)। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था

<sup>&</sup>quot;(3) प्ररूप जीएसटी एपीएल—1 में अपील की हार्डकॉपी अपील प्राधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उपनियम (1) अधीन अपील फाइल करने के सात दिन के भीतर समर्थक दस्तावेजों के साथ विनिश्चय या अपील आदेश की सत्यापित प्रति और अंतिम अभिस्वीकृति संलग्न होगी जिसमें अपील संख्या दिशत होगी और तत्पश्चात् प्ररूप जीएसटी एपीएल—02 अपील प्राधिकारी द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा:

परन्तु जहां अपील की हार्डकॉपी और दस्तावेज प्ररूप जीएसटी एपीएल—1 को फाइल करने के सात दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाते है वहां अपील फाइल करने की तारीख अनंतिम अभिस्वीकृति जारी करने की तारीख होगी और जहां अपील हार्डकॉपी और दस्तावेज सात दिन के पश्चात् प्रस्तुत किए जाते है वहां अपील फाइल करने की तारीख दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख होगी।"